संख्याः फिन (पी आर) बी(7)-1/98-IV
वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषक

प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4 रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला
5 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171002, 9 जनवरी, 2007

विषयः **1.1.1996 से वेतनमान संशोधन के फलस्वरूप ऐसी श्रेणियों जिनके संवर्ग में एक अथवा दो ही पद स्वीकृत हैं, ऐसे पदधारियों को हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसज (रिवाईज्ड पे) रूलज, 1998 के अन्तर्गत अगले उच्च वेतनमान में स्थापन्न (प्लेसमैन्ट) करने बारे स्पष्टीकरण।**

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी आर)बी(7)-1/98 20.1.1998 तथा 1.9.1998 और अधिसूचना संख्या फिन(पी आर)बी(7)-1/98-II दिनांक 31.5.2001 तथा फिन(पी आर)बी(7)-1/98-III दिनांक 14.6.2002 इत्यादि द्वारा लिपिक, कनिष्ठ तकनिशियन व अन्य श्रेणियों इत्यादि के संवर्ग में 1.1.1996 से उच्च वेतनमान में स्थापन्न हेतु पात्रता के लिए एक निश्चित प्रतिशतता अथवा समय अवधि का मापदण्ड निर्धारित किया गया है अर्थात् लिपिकों के संवर्ग में 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त 50:50 के अनुपात में रूपये 4400-7000 के वेतनमान में स्थापन्न कर कनिष्ठ सहायक का पदनाम दिया गया है इसी प्रकार कनिष्ठ तकनिशियन संवर्ग में 30% कनिष्ठ तकनिशियनों को वेतनमान 4020-6200 में स्थापन्न कर तकनिशियन ग्रेड -II पदनामित तथा 20% को

वेतनमान 4550-7220 में स्थापन्न कर तकनिशियन ग्रेड -I पदनामित किया गया है तथा शेष 50% कनिष्ठ तकनिशियनों को वेतनमान 3120-5160 दिया गया है।

2 कुछ विभागों द्वारा यह स्पष्टीकरण बार बार मांगा जा रहा हैं कि उनके यहां उपरोक्त संवर्ग या अन्य संवर्ग के स्वीकृत पदों की उपलब्धतता पर्याप्त संख्या में न होने के कारण वेतन संशोधन आदेशों में निर्धारित प्रतिशतता/समयावधि के आधार पर अगले उच्च वेतनमान में सम्बन्धित संवर्ग के कर्मचारियों को स्थापन्न करना कठिन हो रहा हैं। अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पदधारियों को अगले उच्च वेतनमान में स्थापन्न हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाए?

3 मामलें पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया हैं कि ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अगले उच्च वेतनमान में स्थापन्न हेतु अपनाई जावेः

(1) जिन विभागों में लिपिक तथा अन्य श्रेणियों के संवर्गों में केवल एक ही पद स्वीकृत हैं, ऐसे पदधारी को अगले उच्च वेतनमान में स्थापन्न हेतु निर्धारित समय अवधि अथवा प्रतिशतता की शर्त को देखे बगैर जैसा भी मामला हो, उसी पद पर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसज़ (रिवाईज्ड पे) रूलज़, 1998 में निर्धारित समय अवधि अथवा प्रतिशतता को नजरअन्दाज करते हुए उसी पद पर आठ वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर अगला उच्च वेतनमान स्वीकृत कर उसमें स्थापन्न कर दिया जावे।

(2) जिन विभागीय कार्यालयों में तकनीशियनों का संवर्ग सर्कल स्तर का हैं व वहां कनिष्ठ तकनिशियनों के स्वीकृत पदों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण, निर्धारित 50:30:20 के अनुपात में अगला उच्च वेतनमान में स्थापन्न नहीं किया जा सकता, ऐसी अवस्था में निर्धारित प्रतिशतता की शर्त को नजरअन्दाज करते हुए सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त कनिष्ठ तकनिशियन को अगले उच्च वेतनमान 4020-6200 में स्थापन्न करके तकनीशियन ग्रेड –II पदनामित कर दिया जावे, इसी प्रकार तकनिशियन ग्रेड –II के पद पर पांच वर्ष की सेवा अविधि पूर्ण करने के उपरान्त वेतनमान 4550-7220 में स्थापन्न कर तकनिशियन ग्रेड–I पदनामित कर दिया जावे ।

भवदीय,

(डा0 आर एन बत्ता)
अतिरिक्त सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार